

Revised
1/10/2020
12:40PM
Not showing on
Portal
Shri
01/10/20

प्रेषक,

रूपेन्द्र सिंह टोंगर,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०
कोर्ट नं० 2, गाजियाबाद।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय- विधि स्नातकोत्तर(एल०एल०एम०)की उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम
वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने U.P.H.J.S. 2018(III) की परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०, कोर्ट सं. 1, गाजियाबाद के पद पर दिनांक 19.03.2020 को पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थी ने नियुक्त से पूर्व ही विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सन् 2007 में उत्तीर्ण की हुयी है।

1. प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग(शेड्यु आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2002 के अनुपालन में उ०प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश सं.1363/2-4-2009-45(12)/91 टीसी दिनांक 13 मई 2009 तथा सपठित शासन के पत्र सं० 1705/2-4-2011-45(12)/91 टीसी दिनांक 13.01.2007 द्वारा मा० शेड्यु आयोग की संस्तुति को दिनांक 21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान की गयी थीं।

2. इसी प्रकार रिट याचिका सं. सी० 19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15.11.2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21.03.2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एल०एल०एम०) धारित करने वाले उ०प्र० न्यायिक सेवा एवं उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश सं. 2/2015/355/2-4/2015-45(12)/91 टीसी दिनांक 27.03.2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

प्रार्थी उपरोक्त शासनादेशों के आधार पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु योग्य है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि विधि स्नातकोत्तर(एल०एल०एम०)की उपाधि

—

धारक होने के आधार पर दिनांक 19.03.2020 से मेरे द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०, कोर्ट सं. 1, गाजियाबाद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु समुचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

सादर।

दिनांक 28.09.2020

भवदीय,

Rupendra Singh Tongar
(रूपेन्द्र सिंह टोंगर)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०,
कोर्ट संख्या-2, गाजियाबाद।

संलग्नक:- 1-पैज सं० 2/2015/355/को-4-2015-45(12)/91 टीसी दिनांक 27/09/2015
2- शासन पत्र सं० 1363/2-4-2009-45(12)/91 टीसी दिनांक 13/12/2009
3- इपएच एल एल एम
4- भाकेशीर एल एल एम
5- अरए कार्ड

पृष्ठ सं. 3075/I... दिनांक 30/9/2020

अग्रसारित,

महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।



माननीय जनपद न्यायाधीश, 28/09/2020
District Judge
Ghaziabad
30/9/2020

संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी.

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषय:- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेडूटी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में 30प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेडूटी आयोग की संस्तुति एवं तत्क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उक्त संस्तुति को दिनांक 21-3-2002 से स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित एवं चयन के समय ही विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी.सी. दिनांक 13 मई, 2009 सपठित शासनादेश संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी.सी. दिनांक 03 जनवरी, 2012 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-19/2012, भरत कुमार शान्तिराल ठक्कर बनाम् गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 एवं तदुत्तर में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-16117 / IV f 82(loose), दिनांक 15-11-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-3-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले 30प्र0 न्यायिक सेवा एवं 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- वे0आ0-2-323/दस-2015, दिनांक 25-3-15 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

....2

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-2/2015/355(1)/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी., तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, आडिट, प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ०प्र०।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त(सामान्य) अनुभाग-1, 2 एवं 3, उ०प्र० सचिवालय।
- 11- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, उ०प्र० सचिवालय।
- 12- इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ०प्र० सचिवालय।
- 13- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सेवा,
शुभा फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,
महासचिव,
मा० उच्च न्यायालय
दिल्ली/हावाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 नखनरु दिनांक 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ० प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,
उपरोक्त दिनांक मा० शेड्यूल आयोग की रिपोर्ट वायू=2/ संस्तुति संख्या टी-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

§ 48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation In Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 में स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ० प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रत्येक संश्लेष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश विल विभाग के अ०शा०ब०-२०आ०-2-517/दस-2009 दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निरति किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शुभा फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

क्रमांक / Serial No.

501586

नामांक सं. / Enrolment No.

M9721021

अनुक्रमांक / Roll No.

L0557612

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



विधि निष्णात

प्रमाणित किया जाता है कि रूपेन्द्र सिंह टोंगर
आत्मज/आत्मजा श्री विजय पाल सिंह एवं श्रीमती मुनेश टोंगर
को इस विश्वविद्यालय से सन् 2007 की परीक्षा में विधि निष्णात की
उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्रदत्त की गयी है।

MASTER OF LAWS

This is to certify that Rupendra Singh Tongar
son/daughter of shri Vijay Pal Singh and Smt. Munesh Tongar
has been conferred the Degree of **MASTER OF LAWS** of this
University in the Examination of 2007 and that he/she was
placed in Second Division.

Self Attested
Rupendra Singh
28/1/2008

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dated 20.06.2008

Vice-Chancellor



Sl. No 2K8 46418

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

STATEMENT OF MARKS

Examination / Year LL.M. FINAL-2007

Candidate's Name : RUPENDRA SINGH TONGAR
Father's Name : VIJAY PAL SINGH
Mother's Name : MUNESH TONGAR
Institution's Name : MEERUT COLLEGE, MEERUT

Roll No. : L0557610
Enrol No. : M 9721021

NAME OF THE COURSE	CODE No.	MARKS Max.	MARKS OBTAINED		TOTAL
			Min.	THEORY PRACTICAL	
GENERAL PRINCIPLES OF CONTRACT	310	100		59	
SPECIFIC CONTRACTS	311	100		59	
COMPANY LAW AND PARTNERSHIP	412	100		51	
NEGOTIABLE INSTRUMENTS CARRIAGE OF GOOD & INSUR.	413	100		55	

	MAX. MARKS	MIN. MARKS	MARKS OBT.	RESULT
TOTAL	400	200	224	
PREV. TOTAL	400	200	213	SECOND
GRAND TOTAL	800	400	437	

Self Attested
Rupendra Singh
28/9/2007

In case of any discrepancy between the entries in the marksheet issued & in the University record, the University record shall be final.

CHECKED BY :	
1. Full Signature	2. Full Signature
Full Name	Full Name

Date : 02/08/07

Registrar
C.C.S. University, Meerut

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ID. Card No. 04902/2020

OFFICER'S ID. UP2706



सत्यमेव जयते

JUDGE

District and Sessions Court



Name : Rupendra Singh Tongar

Designation : Additional District Judge

Date of Birth: 02/07/1980

Ali Singh
Registrar General

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Father's/Husband's Name : Vijay Pal Singh Tongar

Blood Group : B+

Permanent Address : Patel Nagar, Jarcha Road, Dadri,
Dist.- Gautam Budh Nagar.

Contact No. (in case of emergency) : +91 9311677744

Date of Issue : 01/06/2020



IN CASE OF LOSS, PLEASE INFORM IMMEDIATELY TO THIS OFFICE AND KINDLY
DEPOSIT IT IN THE NEAREST POLICE STATION.